कार्यालय–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर

क्रमांक 2704 दिनांक 19/7/23

कार्यालय आदेश

राजस्थान सरकार के विधि एवम विधिक कार्य विभाग जयपुर की अधिसूचना एवम माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश एवम माननीय जिला एवम सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर के पत्र क्रमांक स्था./2023/22004 दिनांक 18 जुलाई 2023 .की अनुपालना में **मैं अजीत कुड़ी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर** दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा– 14 (1) व 15 (2) के तहत परिदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में आदेश क्रमांक 1241 दिनांक 09.04.2021 के द्वारा थाना गोविन्दगढ में उदभूत होने वाले फौजदारी प्रकरण एवं गोविन्दगढ थाना क्षेत्र के आबकारी एक्ट के प्रकरणों का क्षेत्राधिकारी न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्ष्मणगढ को दिया गया था। सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट गोविन्दगढ नव सृजित न्यायालय खोले जाने पर थाना गोविन्दगढ थाने में उदभूत होने वाले समस्त प्रकरणों का क्षेत्राधिकार (अन्य विशेष अधिनियम के तहत उदभूत होने वाले प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की विशिष्ट अधिकारिता को छोडकर)न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोविन्दगढ को आंवटित करता हूँ।

गोविन्दगढ थाने में दर्ज पूर्व एवं वर्तमान के प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोविन्दगढ को आंवटित किया जाता है।

उक्त आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा ।

इस कार्यालय के पूर्व शेष आदेश क्रमांक 1241 दिनांक 09.04.2021 व 2460 दिनांक 10.08.2021 यथावत रहेगें ।

sd/-
(अजीत कुड़ी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अलवर
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अलवर (राज०)

क्रमांकः– 2705-13 दिनांकः– 19/7/23

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है–

1. माननीय जिला एवम सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर
2. श्रीमान जिला कलक्टर, अलवर
3. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर/संबंधित थाना......................
4. कार्यालय प्रति/संबंधित न्यायालय/अध्यक्ष, बार एसोसियेशन...............
5. कम्प्यूटर शाखा, अलवर (उक्त आदेश को साईट पर अपलोड कर समस्त न्यायालय, अलवर न्यायक्षेत्र को ई–मेल करें)

(अजीत कुड़ी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अ ल व र
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अलवर (राज०)